राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 336/2014/चितौडगढ

मैसर्स श्री गणपति फर्टीलाईजर्स लि.,
गौराजी का निम्बाहैडा, कपासन, चितौडगढ। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....विभाग की ओर से
श्री एम.एल.पाटौदी, अधिवक्ता .....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 23.12.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2000–01(सीएसटी) के लिये आरोपित कर राशि रूपये 5,49,596/–, ब्याज राशि रूपये 2,85,790 एवं शास्ति राशि रूपये 23,170/– कुल मांग राशि रूपये 8,58,556/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी खाद के निर्माता एवं विक्रेता है, एवं इनके द्वारा खाद की बिक्री FOR Basis पर की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 02.08.2001 को किया गया। सर्वेक्षण से निम्न बाते सामने आई–

(A.) व्यवहारी द्वारा दिनांक 19.09.2000 को डिपो खोला गया, परन्तु इससे पूर्व भी राशि रूपये 2,51,840/– का डिपो ट्रांसफर दर्शाया गया।
(B.) दिनांक 19.09.2000 के पश्चात् के डिपो ट्रांसफर पर किसी प्रकार के दस्तावेज यथा **"फार्म एफ"** प्रस्तुत नहीं किया।

3. इस पर कर निर्धारण अधिकारी अधिकारी ने व्यवहारी पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 13.03.2003 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलीय आदेश दिनांक 23.12.2013 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए मांग राशि को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा डिपो ट्रांसफर

लगातार.....2

किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने "एफ फार्म" की बिक्री मानते हुए अन्तर्राज्यिय बिक्री मानकर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है, जो कि अविधिक है। साथ ही दिनांक 19.09.2000 के पश्चात् की समस्त बिक्री अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय उच्चतम न्यायालय के Civil appeal 5134–5135 of 2002 मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार एवं अन्य निर्णय दिनांक 21.04.2009, माननीय कर बोर्ड की अपील 209/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स अनिल परनामी एण्ड कम्पनी, जयपुर TUD 37 page 45 प्रस्तुत किये।** अन्त में उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पंजीयन दिनांक 19.09.2000 से पूर्व भी ब्रांच ट्रांसफर के नाम से माल राज्य से बाहर भेजा था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तर्राज्यिय बिक्री मानकर कर राशि रूपये 11,585/– एवं ब्याज राशि रूपये 6,024/– का आरोपण किया है, वह विधिसम्मत होने से यथावत् रखे जाने योग्य है, परन्तु उन्होंने पंजीयन पूर्व की समस्त बिक्री अपनी लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है, अतः **माननीय उच्चतम न्यायालय के Civil appeal 5134–5135 of 2002 मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार** परिपेक्ष्य में पंजीयन दिनांक 19.09.2000 के पूर्व के समस्त ब्रांच ट्रांसफर पर आरोपित शास्ति राशि रूपये 23,170/– को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पंजीयन के पश्चात् राज्य बाहर के ब्रांच ट्रांसफर के समर्थन में घोषणा प्रपत्र **"फार्म एफ"** प्रस्तुत नहीं किया, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज विधिक होने से इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य